

आदेश

तिथि
Sep 26 2020

आदेश पर की
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा कुर्मीडीह थाना गोविन्दपुर

खाता	प्लॉट	रकबा
74	1351	0 एकड़, 2 डिसमील, 0 हेक्टर
32	1353	0 एकड़, 1.9 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
मो० इस्लाम अंसारी	पिता	स्व० गोखुल मियां
मो० समसुद्दीन अंसारी	पिता	स्व० सुलेमान मियां उर्फ सुलतान मियां
मो० कुर्बान अंसारी	पिता	स्व० सुलेमान मियां उर्फ सुलतान मियां
नासीर अन्सारी उर्फ नासीर मियां	पिता	स्व० सहादत मियां

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 4706 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रियत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
नेवाजी मियां वो गोखुल मियां वो सुलतान मियां वो उमर अली मिया	पिता	मानु मिया
वासु बिबी वो कुटुरु बीबी	पिता	मानु मिया
रफीक मियां वो मोती मियां	पिता	अहलाद मिया
जैनब बिबी वो सुरातन बीबी वो सेरा बीबी वो गुलजान बीबी	पिता	अहलाद मिया
हबीब मियां वो बाबुजान मियां वो कमरुद्दीन मियां वो मुस्तकीम मियां	पिता	मनि मिया
मो० कुल्सुम	पति	मनि मिया
लेगिना बीबी वो किशुन बिबी	पिता	मनि मिया
धनी मियां वो अलीजान मियां	पिता	ओगन मिया
कुरकी बीबी	पिता	ओगन मिया
हुसैनी मियां वो हबीब मियां वो रोजन मिया	पिता	वुचु मिया
कसन्किया बिबी	पिता	वुचु मिया
समसुदीन अंसारी, कमरुसीन अंसारी, कुब्बान अंसारी	पिता	सुलेमान मियाँ

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक / अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान **8रुपये**
स्वीकृत

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
BANDANA BHARTI
अंचलाधिकारी गोविन्दपुर

